<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰</u>

<u>प्रकरण संख्या 08 / 2023 (डूँगरपुर डिक्री)</u>

1. ईश्वरलाल पिता वालजी पाटीदारी, निवासी भीलूडा बाटा बस्ती, तहसील सागवाड़ा, जिला डूँगरपुर (राज.)
2. भरत पिता भगवान पाटीदार, निवासी भीलूडा बाटा बस्ती, तहसील सागवाड़ा, जिला डूँगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. श्री केवजी पिता मोगजी पटेल, निवासी गणेशपुरी भीलुडा
2. गंगा पिता मोगजी पटेल, निवासी गणेशपुरी भीलुडा
3. भगवान पिता मोगजी पटेल, निवासी गणेशपुरी भीलुडा
4. श्रीमती विमला पत्नी स्व. शिवराम पटेल, निवासी गणेशपुरी भीलूडा, तहसील सागवाडा, जिला डूँगरपुर (राज.)
5. श्री हरिश पिता शिवराम पटेल, निवासी गणेशपुरी भीलुडा, तहसील सागवाडा, जिला डूँगरपुर (राज.)
6. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा, जिला डूँगरपुर।

..................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधि. सागवाड़ा
दि॰ 13–07–2022 प्र0सं0 05 / 2020

–––/–––

<u>उपस्थित</u> :– 1. श्री शैलेश भण्डारी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री दिनेश चन्द्र चौबिसा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 से 5

–––::–––

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 12–06–2025</u>

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 ने एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम भीलुडा खाता संख्या 156 / 140 के खसरा नंबर 4081 रकबा 0.0889 हैक्टेयर की स्थित है जिस पर वादीगण काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि को जबरन हडपना चाहते है। प्रतिवादीगण के द्वारा दि[illegible]क [illegible]–08–2019 को वादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:50:47 IST
Reason: SelfAttested

भूमि पर नाजायज कब्जा करने का प्रयास किया तो वादीगण के द्वारा रोके जाने पर उन्हे गालियाँ दी गई। प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि के उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करे जिससे उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

2. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13–07–2022 को निर्णय पारित करते हुये वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे दिनांक 27–10–2023 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र चौबिसा उपस्थित हुए। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेश भण्डारी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट गरीब व अशिक्षित है, जिससे न्यायिक कार्यवाहीयों की सूचना के अभाव मे समय पर न्यायालय तक पहुॅच नही सका। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 12–09–2023 को होने पर नकल प्राप्त कर अपील दिनांक 27–10–2023 को अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गई है। जानबूझकर कोई विलम्ब नही किया गया है। अतः देरी को क्षमा कर अपील अन्दर अवधि शुमार फरमाई जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्टगण ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी हेतु अपना अधिवक्ता श्री वासुदेव ननोमा को नियुक्त कर रखा था जिन्होने अपीलान्ट को हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं बताते हुये

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:47 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यकता होने पर सूचना देने का कथन किया, किन्तु अधिवक्ता द्वारा अपीलान्टगण को कोई सूचना नहीं दी गई जिससे अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो गई। अधिवक्ता की गलती के लिए पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। वादी/रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में मिथ्या दावा पेश किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट/प्रतिवादी को सुने मात्र जमाबंदी प्रदर्श 1 को आधार बनाकर वाद डिक्री कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायायल का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट/प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

7. अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुये बताया कि रेस्पोडेंट विवादित आराजी का खातेदार है तथा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो से अपने वाद को साबित कराया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार निर्णय पारित करते हुये डिक्री जारी की गई है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावें।

8. हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबंदी सवंत् 2074 से 2077 प्रदर्श 1 अनुसार रेस्पोडेंट/वादीगण विवादित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। अपीलान्टगण उक्त आराजी के ना तो खातेदार है ना ही सहखातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री वासूदेव ननोमा द्वारा वकालत पत्र प्रस्तुत किया गया एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया जिस पर उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करीब 19 अवसर प्रदान किये गये, किन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने से उनका जवाब बन्द किया गया। ऐसी स्थिति मे अपीलान्टगण का यह कथन की उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही गलत की गई है तथा उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, उचित प्रकट नहीं होता है। रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया गया है जिसके मुख्य 2 बिन्दु होते है। प्रथम वह खातेदार हो तथा दूसरा उसका कब्जा हो। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:47 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेंट/वादीगण विवादित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है तथा जब तक अन्यथा किसी अन्य का कब्जा साबित ना हो, खातेदार का कब्जा होने की अवधारण ली जाती है। दौराने बहस भी अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनों बिन्दुओं के आधार पर निर्णय पारित करते हुये रेस्पोडेंट/वादीगण का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

9. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 05/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–07–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 12–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:50:47 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰** .....

ईश्वरलाल पिता वालजी पाटीदार निवासी भीलूडा बाटा बस्ती, सागवाड़ा जिला डूँगरपुर व अन्य **बनाम** केवजी पिता मोगजी पटेल निवासी गणेशपुरी भीलुडा, सागवाड़ा जिला डूँगरपुर व अन्य

अपील नं॰...**08 / 2023**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....सागवाड़ा..... मुकाम.....मुवर्खे.....**13**.....माह.....**07**.....**2022**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**12**.....माह.....**06**.....सन् **2025** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री शैलेश भण्डारी** .....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री दिनेश चन्द्र चौबिसा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–07–2022 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**12**.....माह.....**06**.....**2025** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:47 IST
Reason: SelfAttested